रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072025-264951
CG-DL-E-25072025-264951

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3320] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 24, 2025/श्रावण 2, 1947
No. 3320] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 24, 2025/SHRAVANA 2, 1947

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2025

का.आ. 3396(अ).—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि, इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित परिक्षेत्र की भूमि में कोयला अभिप्राप्त होने की संभावना है।

और उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि क्षेत्र के अंतर्विष्ट ब्यौरे, रेखांक धारक संख्यांक एसईसीएल/बीएसपी/जीएम (एल एंड आर) /भूमि/15, तारीख 26 अक्टूबर, 2024 का निरीक्षण कलेक्टर, ज़िला शहडोल, मध्य प्रदेश के कार्यालय में कोयला निंयत्रक, कोयला नियंत्रक का संगठन, कोयला मंत्रालय, स्कोप मीनार, 5th फ्लोर, कोर-2, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110092 के कार्यालय में या साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, (भूमि और राजस्व विभाग), सीपत रोड, बिलासपुर 495006, छत्तीसगढ़ के कार्यालय में या मुख्य महाप्रबंधक (अन्वेषण प्रभाग), सेंट्रल माईन प्लानिंग एंड डिजाईन इंस्टिट्यूट लिमिटेड, गोंडवाना प्लेस, कांके रोड, रांची 834031, झारखंड के कार्यालय में किया जा सकता है |

अत: अब केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एंड विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में से कोयले का पूर्वेक्षण करने की अपने आशय की सूचना देती है;

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति –

(i) उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन की गई किसी भी कार्यवाही से हुई या होने वाली संभावित किसी क्षति के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 की अधीन प्रतिकर का दावा कर सकेगा; या

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों के प्रभावहीन होने के संबंध में या उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन खनन पट्टे के प्रभावहीन होने के लिए प्रतिकर का दावा कर सकेगा और उसे उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (i) से खंड (iv) में विनिर्दिष्ट मदों की बाबत उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिये पूर्वोक्त भूमि से सम्बंधित सभी मानचित्रों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को परिदत्त कर सकेगा।

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर भारसाधक अधिकारी या विभागाध्यक्ष (राजस्व), साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर 495006, छत्तीसगढ़ को परिदत्त कर सकेगा ।

अनुसूची

रामपुर बटुरा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर,

सोहागपुर क्षेत्र,

(जिला अनुपपुर या शहडोल, मध्य प्रदेश)

[रेखांक धारक संख्यांक एसईसीएल/बीएसपी/जीएम (एल एंड आर) /भूमि/15, तारीख 26 अक्टूबर, 2024]

क्रमांक	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का संख्या	तहसील	जिला	अधिसूचित क्षेत्र हेक्टर मे (लगभग)	टिप्पणी
1	बरगवां	02	अनुपपुर	अनुपपुर	16.908	भाग
2	देवहरा	48	अनुपपुर	अनुपपुर	0.144	भाग
3	देवरी	04	अनुपपुर	अनुपपुर	7.586	भाग
4	केल्हौरी	03	अनुपपुर	अनुपपुर	13.528	भाग
5	बटुरा	11	बुढ़ार	शहडोल	12.489	भाग
6	बिछिया	07	बुढ़ार	शहडोल	5.002	भाग
7	रामपुर	09	बुढ़ार	शहडोल	3.230	भाग
कुल क्षेत्रफल: 58.890 हेक्टेयर (लगभग) या 145.51 एकड़ (लगभग)						

सीमा वर्णन:

क-ख: (दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर जाने वाली रेखा) रेखा ग्राम बरगवां में बिंदु "क" से आरंभ होती है और देवहरा तक जाती है जो कि ग्राम देवहरा और बरगवां की सामान्य ग्राम सीमा पर बिंदु "ख" पर मिलती है।

ख-ग: (उत्तर-पूर्व दिशा की ओर जाने वाली रेखा) रेखा बिंदु "ख" से आरंभ होती है जो देवहरा और बरगवां की सामान्य ग्राम सीमा पर स्थित है और आरक्षित वन भूमि से होकर गुजरती है और ग्राम बरगवां में बिंदु "ग" से मिलती है।

ग-घ: (पूर्व दिशा की ओर जाने वाली रेखा) रेखा बिंदु "ग" से आरंभ होती है और बिंदु "घ" पर मिलती है जो देवरी और केल्हौरी की सामान्य ग्राम सीमा पर स्थित है।

घ-ङ: (उत्तर-पूर्व दिशा की ओर जाने वाली रेखा) रेखा बिंदु "घ" से आरंभ होती है जो देवरी और केल्हौरी की सामान्य ग्राम सीमा पर स्थित है और बिंदु "ड" पर मिलती है जो सोन नदी के पार केल्हौरी और बटुरा की सामान्य ग्राम सीमा पर स्थित है।

ड-च: (उत्तर-पूर्व दिशा की ओर जाने होने वाली रेखा) रेखा बिंदु "ड" से आरंभ होती है जो नदी के मध्य में केल्हौरी और बटुरा की सामान्य ग्राम सीमा पर स्थित है और राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 43 को पार करती है और बिंदु "च" से मिलती है।

च-छ: (दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर जाने वाली रेखा) रेखा बिंदु "च" से आरंभ होती है जो बटुरा और बिछिया की सामान्य ग्राम सीमा पर स्थित है और जमुनिया नाले से होती हुई गांव रामपुर में बिंदु "छ" पर मिलती है।

छ-ज: (दक्षिण दिशा की ओर जाने वाली रेखा) रेखा बिंदु "छ" से आरंभ होती है जो ग्राम रामपुर पर स्थित है और उसी ग्राम रामपुर में बिंदु "ज" पर मिलती है।

ज-झ: (पश्चिम दिशा की ओर जाने वाली रेखा) रेखा ग्राम रामपुर में बिंदु "ज" से आरंभ होती है और जमुनिया नाले को पार करती हुई बिंदु "झ" पर मिलती है जो ग्राम बिछिया और बटुरा की सामान्य ग्राम सीमा पर स्थित है।

झ-ञ: (दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर जाने वाली रेखा) रेखा बिंदु "झ" से आरंभ होती है जो बिछिया और बटुरां की सामान्य ग्राम सीमा पर स्थित है और राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-43 से होती हुई बिंदु "त्र" पर मिलती है जो ग्राम बटुरा और केल्हौरी की सामान्य ग्राम सीमा पर स्थित है।

त्र-ट: (दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर जाने वाली रेखा) रेखा बिंदु "त्र" से आरंभ होती है जो ग्राम बटुरा और केल्हौरी की सामान्य ग्राम सीमा पर स्थित है और सोन नदी से होती हुई बिंदु "ट" पर मिलती है जो ग्राम केल्हौरी और देवरी की सामान्य ग्राम सीमा पर स्थित है।

ट-ठ: (पश्चिम दिशा की ओर जाने वाली रेखा) रेखा बिंदु "ट" से आरंभ होती है जो ग्राम केल्हौरी और देवरी की सामान्य ग्राम सीमा पर स्थित है और ग्राम बरगवां में बिंदु "ठ" पर मिलती है।

ठ-ड: (दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर जाने वाली रेखा) रेखा ग्राम बरगवां में बिंदु "ठ" से आरंभ होती है और आरक्षित वन भूमि से होती हुई बिंदु "ड" पर मिलती है।

ड-ढ: (उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर जाने वाली रेखा) रेखा बिंदु "ड" से आरंभ होती है जो ग्राम बरगवां और देवहारा की सामान्य ग्राम सीमा पर स्थित है और अमलाई स्टेशन के पास से होती हुई बिंदु "ढ" पर मिलती है।

ढ-क: (उत्तर-पूर्व दिशा की ओर जाने वाली रेखा) ग्राम बरगवां में बिंदु "ढ" से आरंभ होती है और रेखा अमलाई स्टेशन के पास आरंभिक बिंदु "क" पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/1/2025-एलएआईआर]

भबानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2025

S.O. 3396(E).— Whereas it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the lands in the locality mentioned in the Schedule annexed hereto.

And whereas, the plan bearing number SECL/BSP/GM(L and R)/LAND/15 dated the 26th October, 2024, containing details of the area covered by this notification may be inspected at the office of the Collector, District Shahdol, Madhya Predesh or the office of the Coal Controller, Coal Controller's Organization, Ministry of Coal, Scope Minar, 5th Floor, Core II, Laxmi Nagar, Delhi 110092 or at the office of the South Eastern Coalfields Limited (Land and Revenue Dept), Seepat Road, Bilaspur 495006, Chhattisgarh or General Manager (exploration Division), Central Mine Planning & Design Institute limited, Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi 834031, Jharkhand;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal in the land described in the aforesaid schedule.

Any person interested in the land described in the above-mentioned schedule may -:

i. claim compensation under Section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be caused by any action taken under sub section (3) of Section 4 of the said Act, or

ii. claim compensation under sub-section (1) of Section 13 of the said Act, in respect of prospecting license ceasing to have effect or under sub-section (4) of Section 13 of the said Act for mining lease ceasing to have effect and deliver all maps, charts and other documents relating to the aforesaid land to show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses (i) to (iv) of sub-section (1) of section 13 of the said Act,

to the Officer-In-Charge or Head of the Department (Revenue), South Eastern Coalfields Limited, Seepat Road, Bilaspur 495006, Chhattisgarh within a period of ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Rampur Batura Railway Infrastructure,

Sohagpur Area,

(District Anuppur or Shahdol, Madhya Pradesh)

[Plan bearing number SECL/BSP/GM(L and R)/LAND/15, dated the 26th October, 2024]

Sl. No.	Name of Village	Patwari Halka Number	Tahsil	District	Area in hectares (approximately)	Remarks
1.	Bargawan	02	Anuppur	Anuppur	16.908	Part
2.	Deohara	48	Anuppur	Anuppur	0.144	Part
3.	Deori	04	Anuppur	Anuppur	7.586	Part
4.	Kelohri	03	Anuppur	Anuppur	13.528	Part
5.	Batura	11	Burhar	Shahdol	12.489	Part
6.	Bichhiya	07	Burhar	Shahdol	5.002	Part
7.	Rampur	09	Burhar	Shahdol	3.230	Part
Total Area: 58.890 hectares (approximately) or 145.51 acres (approximately)						

Boundary description:

A-B: (Line running towards South-East Direction) Line starting from point A in village Bargwan and goes to Deohara and meet at point B at common village boundary of Deohara and Bargawan.

B-C: (Line running towards North-East Direction) Line starting from point B which lies on common village boundary of Deohara and Bargawan and Passes through reserve forest land and meet point C in Village Bargawan.

C-D: (Line running towards East Direction) Line starting from point C and meet at point D which lies on common Village boundary of Deori and Kelhauri.

D-E: (Line running towards North-East Direction) Line starting from point D which lies on common village boundary of Deori and Kelhauri and meet at point E which Lies on common village boundary of Kelhauri and Batura in middle of across the river Son.

E-F: (Line running towards North-East Direction) Line starting from point E which lies on Common village boundary of Kelhauri and Batura in middle across the river and crosses National Highway NH-43 and meet point F.

F-G: (Line running towards South-East Direction) Line starting from point F which lies on common village boundary of Batura and Bichhiya and passes through Jamunia nallah and meet at point G in village Rampur.

G-H: (Line running towards South Direction) Line stared from point G which lies on village Rampur and meet at point H in same village Rampur.

H-I: (Line running towards West Direction) Line starting from point H in village Rampur and crosses Jamunia nallah and meet at point I which lies on common village boundary of Village Bichhiya and Batura.

I-J: (Line running towards South-West Direction) Line starting from point I which lies on common village boundary of Bichhiya and Batura and passes through NH-43 and meet at point J which lies on common village boundary of Batura and Kelhauri.

J-K: (Line running towards South-West Direction) Line starting from point J which lies on common village boundary of Batura and Kelhauri and cross sone river and meet at point K which lies on common village boundary of Kelhauri and Deori.

K-L: (Line running towards West Direction) Line starting from point K which lies on common village boundary of Kelhauri and Deori and meet at point Lin village Bargawan.

L-M: (Line running towards South-West Direction) Line starting from point L in village Bargawan and passes through Reserve Forest Land and meet at point M.

M-N: (Line running towards North-West Direction) Line starting from point M which lies in common village boundary of Bargawan and Deohara and passes near to Amlai station and meet at point N.

N-A: (Line running towards North-East Direction) Line starting from point N in village Bargawan meet at starting point A near Amlai station.

[F. No. 43015/1/2025-LAIR]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.07.25 11:59:08 +05'30'